न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।
उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 30/2026
गुड्डी देवी **बनाम** जितेन्द्र आदि

धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना– सकरौली, जिला एटा

10.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदिका मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

आवेदिका की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस०एस० प्रस्तुत कर संक्षिप्त में कथन किया गया है कि प्रार्थिया गुडडी देवी पत्नी योगेन्द्र निवासी– बाकलपुर थाना सकरौली जिला एटा की रहने वाली है। दिनांक 18.02.2026 को समय करीब शाम 5:30 बजे प्रार्थिया का पुत्र कालू गांव की ही रजनी की परचून की दुकान पर सामान लेने गया था। तभी प्रार्थिया के गांव के जितेन्द्र, संजू पुत्रगण छत्रपाल, इन्द्रजीत पुत्र रिषीपाल, भीकम पाल पुत्र तुरसनपाल, शालिनी पत्नी जितेन्द्र, केसर पत्नी संजू, काजल पत्नी इन्द्रजीत, रिषीपाल पुत्र जयपाल सिंह निवासीगण– बाकलपुर थाना सकरौली जिला एटा व अंकित पुत्र दलवीर निवासी कटेलिया थाना अवागढ जिला एटा पुरानी रंजिश को मानते हुये एकराय मशविरा होकर प्रार्थिया के पुत्र को घेर लिया। इन्द्रजीत ने जान से मारने की नियत से लोहे कि सरिया से मारा, मारपीट मे प्रार्थिया के पुत्र के सिर व शरीर मे गम्भीर चोटे आयी प्रार्थिया के पुत्र को गांव के ही रजनी व अनु ने उक्त लोगो से वमुश्किल बचाया। प्रार्थिया का पुत्र अपने घर पहुँचा तो उपरोक्त लोग पीछा करते हुये प्रार्थिया के घर मे घुस गये उक्त लोगों ने प्रार्थिया के पति और पुत्र दीपेश के साथ भी लाठी डण्डो से मारपीट की दीपेश की अगुली अंकित ने दॉतो से चवली। प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवारीजनों के साथ उक्त लोगो ने पहले भी मारपीट की थी उस घटना की शिकायत प्रार्थिया ने थाने पर की कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त लोगो के हौशले बुलन्द है प्रार्थिया को धमकी दी कि अगर तू शिकायत करने थाने गयी तो तुझे व तेरे पूरे परिवार को जान से मार देगें। प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2026 को बजरिये डाक रजिस्ट्री श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा को भेजा परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। तब मजबूर होकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय मे प्रस्तुत कर रही है।

आवेदिका की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री, मैडीकल प्रपत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है।

आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। न्यायालय मतानुसार मामले के सभी तथ्य आवेदिका एवं गवाहों की जानकारी में हैं। कोई भी ऐसा

साक्ष्य संकलित नहीं किया जाना है जो मात्र विवेचना से ही संकलित किया जा सके। मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर, इस न्यायालय द्वारा स्वंय जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

उक्त प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में पारिवारिक विवाद होने के कारण पत्रावली वास्ते मीडिएशन दिनांक 30.03.2026 को परिवादी सुलह समझौता केन्द्र पर उपस्थित हों। मीडिएशन आख्या दिनांक 10.04.2026 को आहूत हो।

(मोहित कुमार)
दिनांक 10.03.2026 सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा।
(J.O. CODE- UP 4823)